सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

01 अप्रील, 2016

श्री शैलेश कुमार: महोदय, अभिस्तावित स्थल पर 3 मीटर लंबे स्पैन का पुल पूर्व से निर्मित है । तेतरियां से रामपुर पथ की लंबाई 2 कि0मी0 है जो ईटकृत है । यह पथ स्टेट कोर नेटवर्क क्रमांक 38 पर सम्मिलित है । वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यू0पी0 बिहार के बार्डर का इलाका है जहां पर लोगों के आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पुल का निर्माण कराने का व्यवस्था करना चाहेंगे ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): और प्रस्ताव वापस भी करें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: वापस तो लेना ही है लेकिन मंत्री जी का आश्वासन चाहते हैं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): ठीक है देख लेंगे ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-103 (श्रीमती पूनम देवी यादव,स0वि0स0)</u>

श्रीमती पूनम देवी यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत मानसी प्रखंड स्थित गंडक नदी के चुकती घाट पर पुल का निर्माण करावे ।

श्री शैलेश कुमार: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के अपस्ट्रीम में लगभग 600 मीटर की दूरी पर नबार्ड योजना अंतर्गत पुल स्वीकृत है एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्रीमती पूनम देवी यादव: माननीय सभापति महोदय जी, ये जो पुल चुकती घाट नदी पर है वह महत्वपूर्ण पुल है । और जो पदाधिकारी इनको सर्वे कर रिपोर्ट दिये हैं एक नदी से दूसरे नदी छोड़कर दिया है कि 600 मीटर है । जबकि एन.एच. से चलेंगे तो 4 कि0मी0 की दूरी है । माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि आये दिन वहां दुर्घटना भी होते रहता है तो जनहित में कोई आश्वासन दें मंत्री जी ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): ठीक है माननीय मंत्री देख लेंगे ।

अपना प्रस्ताव तो वापस ले लें ।

श्रीमती पूनम देवी यादवः मा0 मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्या का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-104 (श्री रणधीर कुमार सोनी,स0वि0स0)

श्री रणधीर कुमार सोनीः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंडान्तर्गत विमान पंचायत के रेवता ग्राम में उच्च विद्यालय की स्वीकृति जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा दी गयी थी, जबकि उक्त विद्यालय के भवन निर्माण की निविदा विमान ग्राम के नाम से निकाली गयी है, उक्त विद्यालय की स्थापना रेवता ग्राम में ही करावें ।"

श्री अशोक चौधरीः महोदय, विभागीय संकल्प संख्या-1021 दिनांक 05.07.2013 के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में आच्छांदित किया जाना है । जिला पदाधिकारी शेखपुरा के पत्रांक 270 दिनांक 29.06.2010 द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन के आधार पर विमान पंचायत में संकल्प में निहित प्रावधानों के आलोक में निर्दिष्ट मापदंड पूर्ण करने वाले मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री रणधीर कुमार सोनीः 2010 में 2014 का भी है लेटर डी0एम0 का । 2014 के आधार पर किया जा रहा है जबकि जांच करके 2014 में डी0एम0 ने रेवता गांव के लिए किया। वह जमीन बिल्कुल गलत है । और विभाग ने उसको छिपाके 2010 के प्रतिवेदन पर उसको कर रहा है । यही तो है विभाग का खेल ।

श्री अशोक चौधरीः ठीक है माननीय सदस्य लिखकर दे दें । संकल्प अपना वापस ले लें।

श्री रणधीर कुमार सोनीः डी0एम0 का बजाप्ते चिट्ठी है 2014 का । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-105(श्री राज कुमार राय,स0वि0स0)

श्री राजकुमार रायः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत बिथान प्रखंड में करेह नदी पर फुहिया घाट में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य करावे ।"

श्री शैलेश कुमारः महोदय, अभिस्तावित स्थल फुहिया घाट से दोनों तरफ कच्ची पथ है । उक्त स्थल के अपस्ट्रीम में 8 कि0मी0 की दूरी पर तथा डाउनस्ट्रीम